

सीबीईसी-20/16/04/2018-जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
(जीएसटी पॉलिसी विंग)

नई दिल्ली

दिनांक 28 जून, 2019

सेवा में

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त,
प्रधान आयुक्त/ केन्द्रीय कर आयुक्त (सभी),
प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सभी),
प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीसबीआईसी

महोदय/महोदया,

विषय: करदाताओं द्वारा प्रस्तुत फार्म जीएसटी आरएफडी-01ए में धनवापसी आवेदन की प्रक्रिया को गलत तरीके से कॉमन पोर्टल पर दर्ज किया गया के संबंध में ।

ऐसे मामलों में जहां ऐसे धनवापसी आवेदन अधिकारिक कर प्राधिकरण (केंद्र या राज्य), कर को सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां कर अधिकारी वह नहीं हैं, जिसको करदाता प्रशासनिक रूप से सौंपा गया है, की प्रक्रिया के संबंध में शंका उत्पन्न हुई है । मामले की जांच की गई है, क्षेत्र निर्माणों में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017(इसके बाद "सीजीएसटी" अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 168(1) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए बोर्ड अनुवर्ती मुद्दों को स्पष्ट करता है

2. फील्ड फार्मेशन द्वारा यह बताया गया है कि केंद्र या राज्य कर प्राधिकरण में से कुछ करदाताओं के प्रशासनिक असाइनमेंट के बारे में संबंधित कर प्राधिकरणों द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार सामान्य पोर्टल पर अद्यतन नहीं किया गया है । जीएसटी कांऊंसिल द्वारा केन्द्र और

राज्य के बीच करदाता आधार के विभाजन के संबंध में दिनांक 20.09.2017 के परिपत्र सं. 01/2017 के माध्यम से जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसरण में जीएसटी के अंतर्गत एकल इंटरफेस सुनिश्चित करना । उदाहरणतः एक करदाता मैसर्स एक्स वाई जेड लि. केन्द्रीय कर प्राधिकरण के साथ प्रशासनिक रूप से असाइन था परन्तु कॉमन पोर्टल पर राज्य कर प्राधिकरण को मैप किया गया ।

3. 31.12.2018 से पूर्व संबंधित अधिकारिक कर कार्यालयों में फार्म जीएसटी आरएफडी 01ए की मुद्रित प्रतियां जमा करवाने के बाद धनवापसी आवेदनों की प्रक्रिया चालू की जा रही थी । दिनांक 31.12.2018 के परिपत्र सं. 79/53/2018 जीएसटी जारी करने के बाद आधिकारिक कर कार्यालय में धनवापसी आवेदन की प्रतियां भौतिक रूप से जमा करवाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है । अब सामान्य पोर्टल, कर प्राधिकरण के आधिकारिक उचित अधिकारी जिनके साथ करदाता प्रशासनिक रूप से असाइन है को कथित पोर्टल पर प्रस्तुत धनवापसी आवेदनों को अग्रेषित करता है। उपरोक्त पैरा 2 में उद्धृत उदाहरण की स्थिति में आवेदक को सामान्य पोर्टल पर गलत तरीके से राज्य कर प्राधिकरण के साथ मैपिंग किया गया था, मैसर्स एक्सवाईजेड लि. के आवेदन को केन्द्रीय कर प्राधिकरण को प्रशासनिक रूप से सौंपे जाने के बावजूद राज्य कर प्राधिकरण के उचित अधिकारी को हस्तांतरित कर दिया गया था । दिनांक 31.12.2018 के परिपत्र सं. 79/53/2018 जीएसटी के पैरा 2(ड) के अनुसार राज्य कर प्राधिकरण के उचित अधिकारी द्वारा निर्धारित आधिकारिक उचित अधिकारी को उक्त आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुनः सौंपना चाहिए । तथापि यह बताया गया है कि कथित रिअसाइनिंग सुविधा सामान्य पोर्टल पर अब तक उपलब्ध नहीं है

4. शंका उठाई गई है कि क्या ऐसे मामलों में धनवापसी के लिए आवेदन पर राज्य कर प्राधिकरण या केन्द्रीय कर प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया की जा सकती है जिसे धनवापसी के आवेदन को सामान्य पोर्टल द्वारा गलत तरीके से स्थानांतरित किया गया है

5. इस मामले की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया गया है कि जहां सामान्य पोर्टल पर सही आधिकारिक कर प्राधिकरण को धनवापसी का आवेदन पुनः सौंपा जाना संभव नहीं हो तो धनवापसी दावे की प्रक्रिया रोकी नहीं जानी चाहिए और इस पर उसी कर प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया की जानी चाहिए जिसको सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से धनवापसी आवेदन स्थानांतरित किया जाता है । धनवापसी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद धनवापसी प्रक्रिया प्राधिकरण

सामान्य पोर्टल को गलत मैपिंग के बारे में इस अनुरोध के साथ, सूचित कर कि इसे सामान्य पोर्टल पर उचित रूप से अद्यतन किया जाए ताकि सभी अनुवर्ती धनवापसी आवेदन सही आधिकारिक कर प्राधिकरण को स्थानांतरित हो जाएं ।

6. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की सामग्री के प्रचार के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जा सकते हैं।

7. इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कठिनाई, यदि कोई हो, तो बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है। हिंदी संस्करण का अनुसरण करेंगे ।

(उपेन्द्र गुप्ता)
आयुक्त (जीएसटी)